

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था./2023

रायपुर, दिनांक

/ /2023

//कार्यालय आदेश//

आदेशानुसार, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के वित्त निर्देश 02/2023 के परिपत्र क्रमांक 39/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20.01.2023 के तहत दिनांक 01 नवंबर, 2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2016-04-03289/वि/नि/चार दिनांक 20.01.2023 की छायाप्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि:-

(अ) दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-एक (नोटराईज्ड शपथ पत्र) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र-दो (नोटराईज्ड शपथ पत्र एवं सहमति पत्र) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

(ब) दिनांक 01.04.2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र-एक अथवा प्रपत्र-दो (नोटराईज्ड) में विकल्प भरकर स्थापना शाखा में दिनांक 24.02.2023 तक अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

आदेश से,

द्वाटा । —

संचालक,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ. क्रमांक 1146 /वि.स./स्था./2023

रायपुर, दिनांक 07/02/2023

प्रतिलिपि:-

01. मान. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मान. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मान. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सहायक, को मान. नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मान. उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सचिव, को मान. उपाध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
04. सचिव, छ.ग.विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।

A. B 07/02/2023

प्रशासकीय अधिकारी,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 39 / एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 / 01 / 2023
प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागायुक्त

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

विषय:- दिनांक 01 नवंबर, 2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार,
दिनांक 11 मार्च, 2022

—0—

संदर्भित अधिसूचना द्वारा दिनांक 1.11.2004 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त शासकीय कर्मचारियों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर दिनांक 20.01.2023 द्वारा किये गये प्रतिस्थापन की अधिसूचना, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1976 की अधिसूचना एवं सामान्य भविष्य निधि नियम में संशोधन की अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अतीश पांडेय)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 40 / एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/01/2023

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
 3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
 10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
 13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
 14. समस्त विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
 16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
 17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
 21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
 22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु


(इस्त्रप्रकाश सत्रे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.01.2023

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार :- राज्य शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2016-04-03289/वि./नि./चार, दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा राज्य शासन के पेंशन योग्य स्थापना में दिनांक 1 नवम्बर, 2004 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त समस्त कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-


- "5(अ) दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक नियुक्त शासकीय सेवकों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) में बने रहने का विकल्प अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-एक (नोटराईज्ड) अथवा पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र-दो (नोटराईज्ड) में कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
- (ब) दिनांक 01-04-2022 एवं उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले शासकीय सेवक अनिवार्यतः पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे।
- (स) पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों/उनके नामिनी (मृत्यु के प्रकरणों में) को सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनांक तक जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर,

पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा। शासकीय सेवक को देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नगदीकरण, समूह बीमा योजना की राशि से, शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति, शासकीय सेवक को देना होगा।

- (द) पी.एफ.आर.डी.ए. से एन.पी.एस. खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण, पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में, उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि, शासकीय कोष में जमा करना होगा। उपरोक्तानुसार जमा राशि को भविष्य के पेंशनरी दायित्वों के भुगतान हेतु लोक लेखे के अंतर्गत पृथक निधि में रखा जाएगा एवं प्रतिवर्ष, गत वर्ष के पेंशनरी दायित्वों के 4 प्रतिशत के बराबर राशि को, पेंशन निधि में निवेशित की जाएगी।
6. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 01-04-2022 से सीजीपीएफ के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि नियमों से शासित होंगे। दिनांक 01-11-2004 से 31-03-2022 तक एन.पी.एस. खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एन.पी.एस. नियमों के अंतर्गत देय होगा।
7. दिनांक 01-11-2004 से पुरानी पेंशन योजना लागू होने के दिनांक के मध्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के प्रकरणों में भी, पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सरल क्रमांक 5 में दर्शित प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्र में विकल्प देना होगा तथा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश शासकीय कोष में जमा किया जाना होगा। ऐसे प्रकरण, जिनमें एन.पी.एस. के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लिया गया है, वे भी सरल क्रमांक 5 में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर, शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम के अनुसार पेंशन की पात्रता होने पर, शासकीय सेवक पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,


(अतीश पांडेय)
संयुक्त सचिव

प्रपत्र – एक

नवीन पेंशन योजना (NPS) में बने रहने हेतु

शपथ—पत्र

मैं.....

पदनाम.....

कार्यालय/विभाग का नाम

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छा से नवीन अंशदायी पेंशन योजना (NPS) में बने रहने का विकल्प चयन करता/करती हूँ।

मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक:—..... मोबाइल नं.:

कर्मचारी कोड:.....

PRAN NO:

प्रपत्र – दो

पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु

शपथ—पत्र

मैं.....

पदनाम

कार्यालय का नाम

विभाग का नाम

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03289 /
वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस
शपथ—पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए अपने
लिए पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करता/करती हूँ:-

1. मैं पुरानी पेंशन योजना से शासित होना चाहता/चाहती हूँ तथा इस आशय का
शपथ—पत्र देता/देती हूँ कि मुझे इसके क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी
दिशा—निर्देश मान्य हैं एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य
सरकार से नहीं किया जायेगा ।
2. एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य
सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरान्त शासकीय अंशदान
एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के
उपरान्त ही मुझे पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन देय होगा । मेरे द्वारा शासकीय
अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि एन.पी.एस. से प्राप्त राशि में से जमा की
जाएगी तथा शासन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले
मृत्यु—सह—सेवानिवृत्ति उपादान/अवकाश नगदीकरण/समूह बीमा योजना अंतर्गत
प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा ।
3. एन.पी.एस.खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की
स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकार से इसका दावा नहीं किया जायेगा ।

11211

4. नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के अन्तर्गत मेरे वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जायेगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलक्षियों) से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) की कटौती कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।
5. वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किया जायेगा एवं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा जो मुझे मान्य होगा।
6. मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक:—.....

मोबाइल नं. :

कर्मचारी कोड.....

PRAN NO.....

(प्रपत्र-2 हेतु)

पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने पर शासन को देय राशि के समायोजन हेतु

सहमति पत्र

मैं.....

पदनाम.....

कार्यालय/विभाग का नाम

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के अनुसार मेरे एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय कोष में जमा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्रता होगी। शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज की राशि का समायोजन मुझे मिलने वाले उपादान/अवकाश नगदीकरण/समूह बीमा योजना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी करने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

दिनांक:—..... मोबाइल नं.:

कर्मचारी कोड:.....

PRAN NO:

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.01.2023

क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

- 1 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1) में, चिन्ह एवं अंक "(1)" के स्थान पर, चिन्ह एवं अंक "(1)(क)" प्रतिस्थापित किया जाये ।
- 2 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम (1)(क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1)(ख) ऐसे शासकीय कर्मचारी, जो दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 के मध्य नियुक्त हुए हैं और जो पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब वे उनके एन.पी.एस. खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश को शासकीय कोष में जमा करेंगे ।"

- 3 अध्याय-1 के नियम 2 के उप-नियम 2 के खण्ड (एफ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(जी) ये नियम, उन शासकीय सेवकों को, जो दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 तक नियुक्त हुए हैं और वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20.01.2023 के परिप्रेक्ष्य में नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने का विकल्प का चयन किया है, को लागू नहीं होंगे ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार^{लालू पांडे}
(अंतीश पांडेय)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20.01.2023

क्रमांक एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार :— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं,
अर्थात्:—

संशोधन


उक्त नियमों में,—

- नियम 4 के खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये,
अर्थात् :—

“(ii) ये नियम, उन शासकीय सेवकों को, जो कि दिनांक 01.11.2004 से 31.03.2022 तक नियुक्त हुए हैं और वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289 / वि / नि / चार, दिनांक 20.01.2023 के परिपेक्ष्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प का चयन किया है, दिनांक 01.04.2022 से अनिवार्यतः लागू होंगे, किन्तु जिसने नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने का विकल्प का चयन किया है, को लागू नहीं होंगे।”
- नियम 4 के उप—नियम (2) का लोप किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(अंतीश पांडेय)

संयुक्त सचिव